भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 124

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी मानकों में परिवर्तन

124. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत मजदूरी मानकों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलाव इस रोजगार योजना के उद्देश्यों को धक्का पहुंचा सकते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने दिनांक 21.07.2014 की अधिसूचना के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची – I के पैरा 4 और 20 में संशोधन किए गए हैं जिसके ज़रिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि लागत के संबंध में किसी जिले में किए गए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षारोपण विकास के माध्यम से सीधे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से सीधे जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होंगे। मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए समग्र सामग्री घटक जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****